

प्रपत्र-30

(वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1
(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Officer of the District Collector Rudraprayag

No. 63/2019

Dated: 09-04-2019

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3 Aug 2009 wherein the MoRF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5 February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 3.680 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Tunnel for Rudraprayag By Pass Phase-II for the Construction of Tunnel (900Mtr) in Rudraprayag district falls within jurisdiction of sandar village in Rudraprayag tehsil.

It is further certified that:

- (a) The completed process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 3.680 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Right committee (s), Gram Sabha (s) sub-Division level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to V annexure 23.2,23,23.1.
- (b) The division of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it:
- (c) The proposal does not involve recognised of right of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above


Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT RUDRAPRAYAG (U.K.)


Proceeding of the meeting of the district level committee constiuted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of right) act (FRA) 2006.

A meeting of the district level committee of Rudraprayag district constiuted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Miss. Manglesh Gindyal I.A.S deupty commissioner Rudraprayag on dated 09-04-19 at time 11.00 Am at Rudraprayag in which application claiming right in forest area measuring 3.680 hect for the construction of Tunnel forest land under FRA. 2006 of the following applcant duly processed and recommended by the sub-division level committee of uttarakhand sub-division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for said purpose.

Place: Rudraprayag.

Dted: 09-04-2019






Deputy Commissioner cum-Chairman
District Level Committee

परियोजना का नाम- जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत रुद्रप्रयाग बाई पास द्वितीय चरण के लिए 900 मीटर भूमिगत सुरंग के निर्माण हेतु 3.680 हे० वन भूमि का सीमा सड़क संगठन को प्रत्यावर्तन कार्यालय उप जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम-2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, रुद्रप्रयाग

उपखण्ड अगस्तमुनि परिक्षेत्र के अन्तर्गत रुद्रप्रयाग बाई पास द्वितीय चरण के लिए 900 मीटर भूमिगत सुरंग के निर्माण हेतु 3.680 हे० वन भूमि का सीमा सड़क संगठन को प्रत्यावर्तन हेतु (शून्य हे० आरक्षित वन भूमि, 0.00 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 3.680 हे० वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 3.680 हे० वन भूमि) का जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत रुद्रप्रयाग बाई पास द्वितीय चरण के लिए 900 मीटर भूमिगत सुरंग के निर्माण हेतु 3.680 हे० वन भूमि का सीमा सड़क संगठन को प्रत्यावर्तन (सीमा सड़क संगठन) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील रुद्रप्रयाग) की दिनांक 23/03/2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-


अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम-2006 एवं नियम-2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक उप जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में अयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।


- | | | |
|----|--|---------|
| 1- | श्री  उपजिलाधिकारी रुद्रप्रयाग | अध्यक्ष |
| 2- | श्री  उप प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग | सदस्य |
| 3- | श्री  सहायक समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य |
| 4- | श्री  वी०डी०सी० अ.प्र.हृष्यमुनि | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत रुद्रप्रयाग बाई पास द्वितीय चरण के लिए 900 मीटर भूमिगत सुरंग के निर्माण हेतु 3.680 हे० वन भूमि का सीमा सड़क संगठन को प्रत्यावर्तन परियोजना हेतु 3.680 हे० वन पंचायती भूमि रुद्रप्रयाग बाई पास द्वितीय चरण (सीमा सड़क संगठन) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किसे जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम-2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।


बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अगस्तमुनि परिक्षेत्र के अन्तर्गत रुद्रप्रयाग बाई पास द्वितीय चरण के लिए 900 मीटर भूमिगत सुरंग के निर्माण हेतु 3.680 हे० वन पंचायती भूमि रुद्रप्रयाग बाई पास द्वितीय चरण के लिए (सीमा सड़क संगठन) प्रयोक्ता एजेन्सी का जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी है।



अध्यक्ष उप प्रमुख
वि०स०-अगस्त्यमुनि
जनपद रुद्रप्रयाग (उत्तराखण्ड)


उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-रुद्रप्रयाग, जनपद-रुद्रप्रयाग

प्रतिलिपि-
जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग

- सूचनार्थ प्रेषित।


23/03
सहायक समाज कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड अगस्त्यमुनि
रुद्रप्रयाग


उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-30.4

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत रुद्रप्रयाग बाई पास द्वितीय चरण के लिए 900 मीटर भूमिगत सुरंग के निर्माण हेतु 3.680 हे० वन भूमि का सीमा सड़क संगठन को प्रत्यावर्तन


वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत का नाम -
तहसील ऊखीमठ, जिला-रुद्रप्रयाग
अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत रुद्रप्रयाग बाई पास द्वितीय चरण के लिए 900 मीटर भूमिगत सुरंग के निर्माण हेतु 3.680 हे० वन भूमि का सीमा सड़क संगठन को प्रत्यावर्तन

परियोजना के निर्माण हेतु (शून्य हे० आरक्षित वन भूमि हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि शून्य हे० वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 3.680 हे० वन भूमि) का रुद्रप्रयाग बाई पास द्वितीय चरण के लिए 900 मीटर भूमिगत सुरंग के निर्माण हेतु सीमा सड़क संगठन विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया ।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सान्दर द्वारा दिनांक 13/03/19 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी । यह कि वन अधिकार अधिनियम-2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि से आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं । उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम और ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।



परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग के अर्न्तगत रुद्रप्रयाग बाई पास द्वितीय चरण के लिए 900 मीटर भूमिगत सुरंग के निर्माण हेतु प्रस्तावित 3.680 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु सीमा सडक संगठन को प्रत्यावर्तन

आज दिनांक 13 मार्च 2019 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत सान्दर की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्त वर्णित प्रयोजना हेतु आवेदित वन पंचायती भूमि के सम्बन्ध में निम्न ग्रामवासियों द्वारा विस्तृत चर्चा की गयी। चर्चा के दौरान वन अधिकार अधिनियम-2008 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन पंचायती भूमि में कोई आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं उपस्थित समस्त ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया की उक्त प्रस्तावित वन पंचायती भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। एवं आवेदित वन पंचायती भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

उपस्थिति-पत्रक

क्रम सं०	नाम	हस्ताक्षर	अन्य अभियुक्ति
1	श्री हरिशक्ति	[Signature]	
2	" अरुण सिंह	[Signature]	
3	" युवराज सिंह	[Signature]	
4	" विनय पाठ	[Signature]	
5	" अशोक सिंह	[Signature]	
6	" गणेश पाठ	[Signature]	
7	" राजाना सिंह	[Signature]	
8	" हीरा सिंह पाठ	[Signature]	
9	" दीपक पाठ	[Signature]	
10	" अशोक सिंह	[Signature]	
11	" हरेश सिंह	[Signature]	
12	" रामेश सिंह	[Signature]	
13	" उमेश सिंह	[Signature]	
14	" सुरेश सिंह	[Signature]	
15	" अशोक सिंह	[Signature]	
16	" बलवीर सिंह	[Signature]	
17	" अशोक सिंह	[Signature]	
18	" अशोक सिंह	[Signature]	
19	" अशोक सिंह	[Signature]	
20	" अशोक सिंह	[Signature]	
21	" अशोक सिंह	[Signature]	
22	" अशोक सिंह	[Signature]	
23	" अशोक सिंह	[Signature]	

क०प०उ

उपस्थिति-पत्रक

नाम	हस्ताक्षर	अन्य अभियुक्ति
श्री मोरारि सिंह	मोरारि सिंह	
" शेरारि सिंह	शेरारि सिंह	
26 " मस्ताना सिंह	मस्ताना सिंह	
27 " भगवाना सिंह	भगवाना सिंह	
28 " प्रभा सिंह	प्रभा सिंह	
29 " अनूप सिंह जाधव	अनूप सिंह	
30 " योगेश्वर सिंह जाधव	योगेश्वर सिंह	
31 " प्रदीप सिंह	प्रदीप सिंह	
32 " राजेश्वर सिंह	राजेश्वर सिंह	
33 " रामलाल सिंह	रामलाल सिंह	
34 " नरेश सिंह	नरेश सिंह	
35 " सुभाष सिंह	सुभाष सिंह	
36 " विजय सिंह	विजय सिंह	
37 " भास्कर सिंह	Bhaskar Singh	
38 " राम मोहन सिंह	राम मोहन सिंह	
39 " मन्मथ सिंह	Mamth Singh	
40 " राजेश सिंह	राजेश सिंह	
41 " राजेश्वर सिंह	राजेश्वर सिंह	
42 " चन्द्रा सिंह	चन्द्रा सिंह	
43 " प्रदीप सिंह	प्रदीप सिंह	
44 " अशोक सिंह	Ashok Singh	
45 " सुभाष सिंह	Sunish Singh	
46 " अनुराज जाधव	Anuraj Singh	
47 " सुभाष सिंह	Sunish Singh	
48 " गोविन्द सिंह	Govind Singh	
49 " कुलदीप सिंह	Kuldeep Singh	
50 " अशोक	Ashok	
51 " सजय सिंह	Sajay Singh	
52 " मंगल सिंह	Mangal Singh	
53 " अचंदा सिंह	Achanda Singh	
54 " विरेंद्र सिंह	Birendra Singh	
55 " नारायण सिंह	Narayana Singh	
6 " सजय सिंह	Sajay Singh	
7 " महेश सिंह	Mahesh Singh	
3 " महेश सिंह	mahesh hal	
1 " अशोक जाधव	Ashok Singh	
1 " अशोक सिंह	Ashok Singh	

उपस्थिति-पत्रक

	नाम	हस्ताक्षर	अन्य अभियुक्ति
	श्री जगदीश सिंह	जगदीश	
62	" कुलदीप	कुलदीप	
63	" रविशंकर सिंह	Ravishankar	
64	" प्रदीप सिंह	Pradiip Singh	
65	" इन्द्र सिंह	D.S. Indrasingh	
66	" अमर सिंह	Amr Singh	
67	" जसपाल सिंह	Jasपाल सिंह	
68	" वीरपाल सिंह	Virपाल सिंह	
69	" दलवीर सिंह	Dalवीर	
70	" नरेन्द्र सिंह	Narender	
71	" अरुण सिंह	Arun	
72	" कुलदीप सिंह	कुलदीप सिंह	
73	" महिपाल सिंह	Mahipal	
74	" मनवर सिंह	मनवर सिंह	
75	" विनायक सिंह	Vinayak Singh	
76	" कुलवीर सिंह	कुलवीर	
77	" दामोदर सिंह जगवाण	दामोदर सिंह जगवाण	
78	" विगांबर सिंह	Vigamber Singh	
79	" लक्ष्मण सिंह	Lakshman Singh	
80	" कमल सिंह, जगवाण	Kamla	
81	" गुरुनाथ जगवाण	Gurunath	
82	" अमन सिंह	Aman Singh	
83	" सुरेश सिंह	Suresh Singh	
84	" चंद्रमोहन सिंह	Chandramohan Singh	
85	" सुरेश सिंह	सुरेश	
86	" दुपर सिंह	Dupar Singh	
87	" मधुबन सिंह	Madhuban	
88	" महेन्द्र सिंह	Mahender	
89	" हनुमंत सिंह जगवाण	Hanuman Singh	
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			

कार्यवाही
13-3-19